न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाप जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रार्थी

अवदे खां पुत्र भोजे खां
जाति सिपाही मुसलमान
निवासी ग्राम जैसेरी
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हासम खां पुत्र भोजे खां
2. वली खां पुत्र भोजे खां
   सर्वजाति सिपाही मुसलमान
   निवासीगण ग्राम जैसेरी
   तहसील बाप जिला जोधपुर
3. श्रीमान तहसीलदार, बाप

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 138/2018

उपस्थित :-

1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से
2. अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की तरफ से कोई उपस्थित नही
3. अप्रार्थी सं. 3 की तरफ से सरकारी पैरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक :-29.05.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 एवम अन्य सहखातेदान की संयुक्त खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि ग्राम जैसेरी पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 916/1 रकबा 89-00 बीघा व खसरा नम्बर 930/2 रकबा 88-18 बीघा के रूप मे स्थित है। उपरोक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम बबूल खां पुत्र भोजे खां दर्ज चला आ रहा था जो कि हल्का पटवारी द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान मे दिनांक 25/06/2018 को जरिये शुद्धिपत्र संख्या 2 बबूल खां पुत्र भोजे खां के स्थान पर अब्दुल खां पुत्र भोजे खां दर्ज कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम अवदे खां पुत्र भोजे खां है। प्रार्थी द्वारा अपना सही एवं वास्तविक नाम अवदे खां पुत्र भोजे खां साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ पहचान सम्बन्धित दस्तावेजात् मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, प्रार्थी के शपथ पत्र,

उप खण्ड अधिकारी बाप

Scanned by CamScanner

नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076, प्रार्थी के नाम से बने पेन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि ग्राम जैसरी पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 916/1 रकबा 89-00 बीघा व खसरा नम्बर 930/2 रकबा 88-18 बीघा भूमि मे प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम बबूल खां पुत्र भोजे खां दर्ज था जो कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25/06/2018 को शुद्धि पत्र संख्या 2 भरकर बबूल खां पुत्र भोजे खां से अब्दुल खां पुत्र भोजे खां दर्ज कर दिया जो कि गलत एवं त्रुटिपूर्ण है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम अबदे खां पुत्र भोजे खां है जो पत्रावली पर आई साक्ष्यो से बखूबी प्रमाणित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को दस्तावेजात् से साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम जैसरी पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 916/1 रकबा 89-00 बीघा व खसरा नम्बर 930/2 रकबा 88-18 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम अब्दुल खां पुत्र भोजे खां को दुरस्त किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम अबदे खां पुत्र भोजे खां किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर आदेश की पालना करावे, शेष प्रविष्टिया यथावत रहे, पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/5/2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उप खण्ड अधिकारी बाप
सहायक कलेक्टर
बाप जोधपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर (राज.)

Scanned by CamScanner